वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज़ यूनियन

प्रचंड विरोध प्रदर्शन

29 सितंबर, 2021, बुधवार

उठो.... जागो.... एक हो.... संघर्ष करो....

प्रिय साथियों,

रेल कर्मचारियों की महत्त्वपूर्ण मांगे वित्त मंत्रालय,रेल मंत्रालय, पश्चिम रेलवे, मण्डल व कारख़ाना स्तर पर लंबित है। इन मांगो के शीघ्र निराकरण हेतु वेस्टर्न रेलवे एम्प्लोइज़ यूनियन द्वारा 29 सितंबर, 2021, बुधवारको पूरे पश्चिम रेलवे पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता कर उसे सफल बनाएं ।

1. जीडीसीई आयोजित करने में विलंब :

वर्ष 2018 में GM-PNM आइटम संख्या 09/2018 एवं 67/2018 के माध्यम से महाप्रबंधक के समक्ष GDCE की अधिसूचना जारी करने का मुद्दा उठाया गया था। पश्चिम रेलवे प्रशासन ने जुलाई 2019 में अलग अलग कोटियों के लिए 7 अधिसूचना जारी की थी। COVID-19 की पहली और दूसरी लहर के कारण परीक्षा आयोजित करने में देरी हुई थी। WREU ने GM-PNM आइटम 09/2020 के माध्यम से GDCE परीक्षा आयोजित करने के लिए फिर से इस मुद्दे को उठाया। अंतत: पश्चिम रेलवे पर 03.01.2021 को GDCEकी 3 अधिसूचनाओं की परीक्षाएं आयोजित कीं गई । अभ्यर्थियों की ओर से पेपर लीक होने की शिकायत प्राप्त हुई थी और दिनांक 03-01-2021 को आयोजित जीडीसीई परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी । WREU के पत्र संख्या CCG/2/2021 दिनांक 18-01-2021 के अनुसार WREUने 03-01-2021 को आयोजित जीडीसीई-सीबीटी परीक्षा में विभिन्न अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की और दिनांक 09-04-2021 को हुई PNMकी बैठक में महाप्रबंधक के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया। चूंकि सतर्कता विभाग ने परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क किया था अत: महाप्रबंधक ने 03.01.2021 को आयोजित लिखित परीक्षा को रद्द करने के बाद जून 2021 में रेलवे बोर्ड को यह मुद्दा भेजा । तत्पश्चात, महामंत्री WREUने 23-06-2021 को रेलवे बोर्ड के साथ आयोजित DC/JCM मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया । यूनियन लगातार इस मुद्दे पर सीईओ और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के स्तर पर प्रयासरत है, लेकिन आज तक रेलवे बोर्ड में यह मामला लंबित है । इस से GDCE उम्मीदवारों में बहुत असंतोष व्याप्त है, अत: जल्द से जल्द पश्चिम रेलवे पर GDCE परीक्षा आयोजित की जाये ।

2. ट्रैक मेंटेनर केटेगरी का पुनर्गठन:

रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र संख्या 2015/CE-1/GNS/2 दिनांक 08-03-2019 (RBE-44/2019) के तहत जारी ट्रैक मेंटेनर के पदों के संशोधित प्रतिशत निम्नानुसार है:

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान		पदों का वर्तमान प्रतिशत	पदों का संशोधित प्रतिशत
		6ठा वेतन आयोग	7वां वेतन आयोग		
1	ट्रैक मेंटेनर-I	GP रु. 2800	लेवल 5	6	10
2	ट्रैक मेंटेनर-II	GP रु. 2400	लेवल 4	12	20
3	ट्रैक मेंटेनर-III	GP रु. 1900	लेवल 2	22	20
4	ट्रैक मेंटेनर-IV	GP रु. 1800	लेवल 1	60	50

ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरैशन पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से ज्वाइंट कमेटी द्वारा अनुशंसित ट्रैक मेंटेनर श्रेणी के अपग्रेडेशन के लिए लड़ रहा था। WREUने GM PNM आइटम न 08/2019 के तहत पश्चिम रेलवे पर इसे लागू करने का मुद्दा महाप्रबंधक के समक्ष उठाया। GM-PNM आइटम के फलस्वरूप, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने पत्र संख्या ए/ए/1025/Mate Vol.I दिनांक 05-07-2021 द्वारा सभी DRM को रेलवे बोर्ड के निर्देशों (आरबीई संख्या 44/2019) को लागू करने का निर्देश जारी किया। लेकिन ढाई महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पश्चिम रेलवे पर महाप्रबंधक के निर्देश को लागू नहीं किया जा रहा है। अत: ट्रैक मेंटेनर श्रेणी के पदो के बढ़े हुए प्रतिशत को सभी मंडलो पर शीघ्र लागू किया जाये।

3. GP-1800 के 50% पदों को GP-1900 में अपग्रेड करना :

GP-1900 में पदों की संख्या पर्याप्त नहीं होने के कारण GP-1800 में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को GP-1900 में पदोन्नति नहीं मिल रही है। ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरैशन GP-1800 के 50% पदों को GP-1900 में अपग्रेड करने का निर्णय लेने के लिए रेलवे बोर्ड के समक्ष लगातार मांग कर रहा है। इस पर शीघ्र निर्णय करके आदेश जारी किया जाये।

4. GP-4800 और GP-5400 सभी सुपरवाइज़र केटेगरी में लागू करना:

वर्तमान में PB-2 GP 4600 के रेलवे कर्मचारी सुपरवाइज़र केटेगरी में हैं। 7वें वेतन आयोग ने कुछ केटेगरी के लिए GP 4800 और GP 5400 की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय ने सभी केटेगरी में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है और यह वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। अत: हमारी मांग है कि भारतीय रेलवे के सभी विभागों के पर्यवेक्षकों के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार PB-2 GP-4800 और GP-5400 को लागू किया जाए।

5. रात्रि ड्यूटी भत्ता का भुगतान:

नाइट ड्यूटी करने वाले सभी रेल कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी भत्ता मिल रहा था। अचानक DOPT के निर्देश अनुसार रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(P-)II-2017/HW-1 दिनांक 29-09-2020 (RBE-83/2020) के तहत जिनका मूल वेतन 43600/- रुपये से अधिक है ऐसे रेलवे कर्मचारियों को 01-07-2017 से ND-के भुगतान के लिए अपात्र बना दिया गया। AIRF के प्रयासो से RBE छे. 96/2020 दिनांक 06-11-2020 के अनुसार रेल कर्मचारियों के वेतन से 01-07-2017 से वसूली नहीं करने के आदेश जारी किए गए। इसी क्रम में AIRF ने दिनांक 22/23-06-2020 व 26-06-2021 को आयोजित DC/JCM की मीटिंग और दिनांक 30-07-2021 को आयोजित NC-JCM की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया। अब रेलवे बोर्ड ने रात्रि ड्यूटी करने वाले सभी रेल कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ते के भुगतान की सिफ़ारिश वित्त मंत्रालय को की है। रात्री ड्यूटी भत्ता का भुगतान सभी रेल कर्मचारियों को बिना किसी वेतन सीमा के पहले की तरह किया जाये।

6. इंजन और गार्ड ब्रेक वैन में लाइन बॉक्स लगाना:

रेल मंत्रालय बिना किसी उचित वैकल्पिक प्रावधान के लाइन बॉक्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। गाड़ियों के संरक्षित संचालन हेतु लोको पायलट और गार्ड के साथ लाइन बॉक्स की आवश्यकता है। सभी रनिंग स्टाफ को GSR के अनुसार संरक्षा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। AIRF ने लाइन बॉक्स को जारी रखने की मांग की है। परंतु रेलवे प्रशासन रनिंग स्टाफ को ढ़ुझ ढोने के लिए मजबूर कर रहा है। इससे रनिंग स्टाफ

में काफी रोष है। इस मुद्दे को WREU ने महाप्रबंधक के समक्ष उठाया और कई बार चर्चा की । बड़ौदा मंडल में लाइन बॉक्स को खत्म करने के पायलट प्रोजेक्ट का सफल परिणाम नहीं मिला है । दिनांक 22/23-06-2021 को आयोजित DC/JCM मीटिंग में WREU/AIRF द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया। इस विषय पर मेम्बर ट्रैक्शन, रेलवे बोर्ड के साथ विशेष मीटिंग दिनांक 15-09-2021 को आयोजित की गई । WREU/AIRF की मांग है कि रनिंग स्टाफ को होने वाली असुविधा और कठिनाई को कम करने के लिए लोको/इंजन और ब्रेक वैन में लाइन बॉक्स को स्थायी रूप से लगाया जाये।

7. रेलवे क्वार्टरों और कॉलोनियों का रखरखाव:

पूरे पश्चिम रेलवे में रेलवे क्वार्टरों और रेलवे कॉलोनियों के उचित और समय पर रखरखाव के लिए रेलवे कर्मचारियों और WREU की कई शिकायतें लंबित हैं। IOWके अधीन कर्मचारियों की अत्यधिक कमी, सामग्री की कमी और पर्याप्त धन की अनुपलब्धता के कारण रेलवे क्वार्टरों और रेलवे कॉलोनियों का रखरखाव प्रभावित हो रहा है। अब रेलवे बोर्ड ने जोनल ठेके में 25 प्रतिशत खर्च कम करने का सुझाव दिया है। इससे रेलवे क्वार्टरों और कॉलोनियों की हालत और बदतर होगी। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि रेलवे क्वार्टरों और कॉलोनियों का रखरखाव समय पर और तुरंत किया जाना सुनिश्चित करें ।

8. दिनांक 01-01-2020 से महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान:

भारत सरकार ने COVID-19 स्थिति के कारण 01-01-2020 से 30-06-2021 तक D की अतिरिक्त किस्त का भुगतान रोक दिया था। अब डीए का भुगतान 28% की दर से 01-07-2021 से किया गया है। WREU/AIRF के प्रयास से 01-01-2020 से 30-06-2021 के बीच की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक निवृत्ति या मृतक रेल कर्मचारियों को DCRG और छुट्टी नकदीकरण में हुए नुकसान की पूर्ति करने के आदेश जारी किए गए है। अत: महंगाई भत्ते का वास्तविक भुगतान 01.01.2020 से सभी उद्देश्यों के लिए किया जाए।

9. मुख्य लोको निरीक्षकों के वेतन का स्टेपिंग अप :

दिनांक 31-12-2015 से पहले कार्यरत लोको निरीक्षकों को 01-01-2016 के बाद पदोन्नत उनके कनिष्ठ लोको निरीक्षकों की तुलना में कम मूल वेतन मिल रहा है। यह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का परिणाम है। ऐसी स्थिति में वेतन वृद्धि का लाभ हमेशा वरिष्ठ रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता था लेकिन लोको इंस्पेक्टरों को इस लाभ से वंचित रखा जा रहा है। WREU ने इस मुद्दे को PNM आइटम संख्या 24/2021 के अनुसार महाप्रबंधक के समक्ष उठाया है। प्रशासन ने वेतन बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं परंतु स्थानीय प्रशासन वरिष्ठ लोको निरीक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दे रहा है । अत: सभी पात्र मुख्य लोको निरीक्षकों को उनके कनिष्ठ की तुलना में वेतन का स्टेपिंग अपका लाभ दिया जाये ।

10. रेलकर्मियों को बोनस का भुगतान:

महासचिव, AIRF ने पत्र संख्या AIRF/387 दिनांक 27-08-2021 के माध्यम से दशहरा/दुर्गा पूजा से पहले वर्ष 2020-2021 के लिए उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) का भुगतान करने की मांग की है। भारत सरकार से अनुरोध है कि AIRF की मांग के अनुसार सभी रेल कर्मचारियों को बोनस भुगतान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

11. रिक्त पदों को भरना एवं सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देना :

भारतीय रेलवे में भर्ती में असामान्य देरी के कारण कई पद खाली पड़े हैं। पश्चिम रेलवे पर भी ऐसी ही स्थिति है। भर्ती ग्रेड और पदोन्नति के पदों पर बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। महाप्रबंधक से अनुरोध है कि वे सभी संबंधितों को रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश दें ताकि मौजूदा रेल कर्मचारियों की कठिनाई को कम किया जा सके और ट्रेनों का संरक्षित संचालन किया जा सके।

दिनांक 01-01-2004 के बाद भर्ती किए गए सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू हैं। ऐसे रेल कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाया जाये। AIRF इस मांग को रेलवे बोर्ड, वित्त मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री और भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष लगातार उठा रहा है। इस मांग की अनुशंसा पूर्व रेल मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और सुरेश प्रभु ने भी की है। हमारी मांग है कि सभी रेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना मे समाहित कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाये।

12. रेल कर्मचारियों को कोरोना वारियर घोषित करना और लंबित चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति :

मार्च 2020 से देश में कोरोना महामारी के समय रेल कर्मचारियों ने स्वयं और परिवार की जान की परवाह करे बिना लगातार रेलवे का संचालन किया है । इस महामारी में करीब 3000 रेल कर्मचारी ने अपनी जान गवाई । परंतु रेल कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा कोरोना वारियर नहीं माना और उन्हें संबंधित लाभ से वंचित रखा गया है । साथ ही कोविड़-19 के इलाज में कई रेल कर्मचारियों द्वारा किया गया चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति के केस लंबित है । अतः रेल कर्मचारियों को कोरोना वारियर घोषित किया जाए और लंबित चिकित्सा खर्च का शीघ्र भुगतान किया जाए ।

13. रेलवे परिसंपतियों के मुद्रीकरण का विरोध :

गत कई वर्षों से भारत सरकार द्वारा भारतीय रेलवे के निजीकरण का प्रयास जारी है । AIRF/WREU ने पहले भी राकेश मोहन कमिटी, प्रकाश टंडन कमिटी, बिबेक देबरॉय कमिटी, सैम पित्रोड़ा कमिटी, इत्यादि की निजीकरण की शिफ़ारिशों का प्रचंड विरोध किया है । इसी क्रम में WREU ने दिनांक 9 अगस्त 2020 को भारतीय रेल के स्टैक्होल्डर्स और प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में रेल बचाओ देश बचाओ सेमीनार का आयोजन किया था । AIRF ने इसे जन आंदोलन बनाने की मुहिम चलाई है । अब भारत सरकार ने अपनी मुद्रीकरण नीति के तहत भारतीय रेल की लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपये की परिसंपतियों को निजी हाथों में देकर आगामी 4 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये अर्जित करने का निर्णय किया है । भारतीय रेल इस देश के नागरिकों की सम्पत्ति है अतः सरकार के इस मुद्रीकरण के निर्णय का AIRF/WREU पुरजोर विरोध करते हैं ।

आओ.... हम सब मिल कर हमारी जायज मांगो के लिए आवाज बुलंद करे ।

हमारी मांगे लेकर रहेंगे.... लेकर रहेंगे.... लेकर रहेंगे ।

मजदूर एकता जिंदाबाद

WREU जिंदाबाद AIRF जिंदाबाद HMS जिंदाबाद ITF जिंदाबाद

कॉम. आर. सी. शर्मा
अध्यक्ष

कॉम. जे. आर. भोसले
महामंत्री